01 से 07 सितम्बर,2016 की प्रमुख गतिविधियाँ .....

* डीआरएम, झाँसी को पत्र प्रेषित कर, आगरा फोर्ट–अहमदाबाद एक्सप्रेस को ग्वालियर से संचालित किए जाने की पुनः माँग करते हुए, चेम्बर द्वारा उन्हें अवगत कराया गया है कि ग्वालियर अंचल से बड़ी संख्या में व्यवसाई एवं उद्योगपति अपने कारोबार के सिलसिले में अहमदाबाद जाते हैं क्योंकि अहमदाबाद कपड़ा, केमिकल, मशीनरी आदि के लिए सुविख्यात होकर, कारोबार का एक बड़ा केन्द्र है । अतः उक्त ट्रेन को ग्वालियर तक बढ़ाए जाने हेतु आवश्यक एवं उचित कार्यवाही यथाशीघ्र करने की माँग की गई है, ताकि ग्वालियर अंचलवासियों की बहुप्रतीक्षित माँग पूरी हो सके ।
* ग्वालियर व्यापार मेला में एम्पोरियम का स्टॉल लगाए जाने के लिए चेम्बर द्वारा राजस्थली हैण्डीक्रॉफ्ट एम्पोरियम, जयपुर, राजस्थली दि राजस्थान एम्पोरियम, नई दिल्ली, कावेरी दि कर्नाटका एम्पोरियम, बैंगलोर, कावेरी दि कर्नाटका एम्पोरियम, नई दिल्ली, गुजरात स्टेट हैण्डलूम एण्ड हैंडीक्रॉफ्ट्स डेवलपमेंट कार्पो. लि., गांधीनगर, गार्वी गुर्जरी दि गुजरात एम्पोरियम, नई दिल्ली, लेपाक्षी दि आंध्रप्रदेश एम्पोरियम, हैदराबाद, लेपाक्षी दि आंध्रप्रदेश एम्पोरियम, नई दिल्ली, मंजूषा दि पश्चिम बंगाल एम्पोरियम, नई दिल्ली, उत्कलिका दि ओडिशा एम्पोरियम, भुवनेश्वर, उत्कलिका दि ओडिशा एम्पोरियम, नई दिल्ली, पूमपुहर दि तमिलनाडू एम्पोरियम, नई दिल्ली, झून दि कश्मीर एम्पोरियम, नई दिल्ली, आम्रपाली दि बिहार एम्पोरियम, नई दिल्ली आदि महाप्रबंधकों को पत्र प्रेषित कर ऐतिहासिक ग्वालियर व्यापार मेला में भाग लेने हेतु विनम्र अनुरोध किया गया है ।
* बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस (12442/12441) के स्टॉपेज को ग्वालियर स्टेशन पर स्थाई रूप से बनाए रखने हेतु महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद एवं डीआरएम, झाँसी को पत्र प्रेषित कर आवश्यक एवं उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है ।
* केमिकल व्यवसाईयों द्वारा लायसेंस के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी उन्हें अभी तक लायसेंस प्राप्त नहीं होने पर चेम्बर द्वारा जिलाधीश, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, केमिकल व्यवसाईयों के लंबित लायसेंस शीघ्र दिलवाने का अनुरोध किया गया है ।
* प्रदेश के वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री, श्री जयंत मलैया जी को पत्र प्रेषित कर पॉलीथिन बैग्स पर वैट की दर को 14% के स्थान पर पूर्व की भांति 5% किए जाने का अनुरोध किया गया है, ताकि संबंधित उद्योगों एवं प्लान्टेशन के कार्य में आ रही परेशानियाँ दूर हो सके और राज्य के उद्यमियों व व्यवसाईयों को राहत मिल सके ।
* बाराघाट औद्योगिक क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती के संबंध में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री–श्री पारसचंद्र जैन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री–श्री राजेन्द्र शुक्ल, प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग–श्री इकबाल सिंह बैंस को पत्र प्रेषित कर उक्त औद्योगिक क्षेत्र में बार–बार होने वाली अघोषित विद्युत कटौती के कारण इकाईयों के उत्पादन कार्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव एवं आर्थिक नुक्सान से अवगत कराते हुए, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करने की माँग की गई है, ताकि बाराघाट औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाईयों को निर्वाध रूप से विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हो सके ।

*****